भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1696
दिनांक 02 जुलाई, 2019 को उत्तर देने के लिए

सरकारी उपक्रम

1696. डॉ० सुभाष रामराव भामरे:
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:
डॉ० अमोल रामसिंह कोल्हे:
डॉ० हिना विजयकुमार गावीत:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कितने रुग्ण सरकारी उपक्रमों (पीएसयू) को बन्द किया गया है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या इन पीएसयू की संपत्तियों का मूल्य आंका गया है और उन्हें बेच दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा बन्द किए गए पीएसयू के कर्मचारियों को फिर से काम देने के लिए कोई कदम उठाया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इन पीएसयू के कर्मचारियों को कुल कितनी सांविधिक राशि दी जानी है;

(ड.) लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) के पास पुनरुद्धार के लिए कितने सीपीएसयू को भेजा गया है;

(च) क्या इन इकाइयों के पुनरुद्धार हेतु कोई समयबद्ध कार्य योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या सरकार कुछ पीएसयू में पूंजी निवेश करने पर भी विचार कर रही है ताकि उन्हें जनहित में बाजार हस्तक्षेप संगठन के तौर पर बनाए रखा जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री अरविन्द गणपत सावंत)

(क): लोक उद्यम विभाग (डीपीई), में उपलब्ध सूचना के अनुसार 19 केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों (सीपीएसईज़)/ सीपीएसईज़ की यूनिटों को सरकार द्वारा बंद करने का अनुमोदन किया गया है। इन 19 सीपीएसईज़/ सीपीएसईज़ की यूनिटों में से 2 सीपीएसईज़ नामत: इंडियन ऑयल-क्रेडा बायोफ्यूल लिमिटेड और एचपीसीएल-क्रेडा बायोफ्यूल लिमिटेड के संबंध में बन्दी प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। किसी सीपीएसई की बन्दी के लिए प्रमुख कारणों में निरन्तर घाटा/सरकार द्वारा निवेश किए गए अंशदान पर अपेक्षित लाभ न होना, प्रतिस्पर्धी बाजार में प्रतिस्पर्धा न कर पाना आदि शामिल है ।

(ख) से (घ): सीपीएसईज़ अपने प्रशासनिक मंत्रालयों / विभागों के अधीन कार्य करते हैं। लोक उद्यम विभाग द्वारा दिनांक 14.06.2018 को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार रुग्ण/ घाटे में चल रहे सीपीएसईज़ को समयबद्ध आधार पर बंद करने तथा उनकी चल एवं अचल परिसम्पत्तियों के निपटान के बारे में संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग / सीपीएसईज़ बंद किए जाने वाले सीपीएसई की परिसंपत्तियों का मूल्यांकन और बिक्री/ निपटान संबंधी प्रक्रिया करते हैं। इसके अतिरिक्त,

ऐसे सीपीएसईज जिन्हें बंद करने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त हो गया है, अपने प्रशासनिक मंत्रालयों/ विभागों के परामर्श से अपने कर्मचारियों को देय बकाया राशि सहित अपेक्षित कदम उठाते हैं। बिक्री के लिए परिसंपत्तियों का मूल्यांकन संबंधी आंकडे अथवा बंदी के अधीन सीपीएसईज के कर्मचारियों को देय सांविधिक बकाया धनराशि से संबंधित सूचना, संबंधित सीपीएसईज/मंत्रालयों में उपलब्ध है ।

सीपीएसईज के बंद होने/ पुनर्गठन के कारण स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम (वीआरएस)/ स्वैच्छिक पृथ्थकरण स्कीम(वीएसएस) के अंतर्गत पृथक हुए सीपीएसईज के कर्मचारियों (अथवा उनके आश्रितों) के लिए स्व/ मजूरी रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से, लोक उद्यम विभाग, परामर्श, पुन:प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन (सीआरआर) योजना कार्यान्वित कर रहा है । इसके अतिरिक्त ,बंद किए जा रहे सीपीएसईज के कर्मचारी डीपीई के वीआरएस/ वीएसएस संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार क्षतिपूर्ति के हकदार हैं।

(ङ) और (च): पूर्व के लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) के अस्तित्व की अवधि के दौरान अर्थात दिसंबर, 2004 से नवंबर, 2015 तक सीपीएसईज के विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों / विभागों द्वारा 68 मामले इसे भेजे गए । बोर्ड ने 64 मामलों में सिफारिश की थी और 4 मामलों को पुनर्प्रस्तुति के लिए संबंधित मंत्रालयों /विभागों को सौंप दिया। बीआरपीएससी ने 58 मामलों में पुनरूद्धार और 6 मामलों में बंदी की सिफारिश की ।

बीआरपीएससी को 9 नवंबर, 2015 को बंद करने के पश्चात, डीपीई ने सीपीएसईज के पुनरूद्धार / पुनर्गठन के संबंध में दिनांक 29.10.2015 को दिशानिर्देश जारी किए जिन्हें संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/ विभागों द्वारा अपने अंतर्गत कार्यरत सीपीएसईज के संबंध में कार्यान्वित किया जाना है।

(छ): केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम (सीपीएसईज) अपने संबंधित मंत्रालयों / विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करते हैं। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग अपने नियंत्रण में कार्यरत सीपीएसईज के कार्य-निष्पादन और क्षमता को बढाने से संबंधित कार्रवाई करते हैं जिसमें सीपीएसईज में पूंजी निवेश करना शामिल है ताकि उन्हें लोक हित में बाजार हस्तक्षेप संगठन के रूप में बने रहने में सक्षम बनाया जा सके ।

***